

**कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची ।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन-834002, Email: pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक: 860

राँची, दिनांक: 23/8/2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- पुलिस लाईन रामगढ़ के भवन निर्माण हेतु 13.047 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, बोकारो का पत्रांक 847 दिनांक 27.09.2021 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के पत्रांक 1795 दिनांक 12.08.2023

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों की (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में सूचित करना है कि वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, बोकारो का पत्रांक 847 दिनांक 27.09.2021 द्वारा प्रस्ताव संख्या FP/JH/others/30674/2017 construction of Police Line Ramgadh Building हेतु कुल 13.047 हे० मात्र (JJ) जंगल-झाड़ी वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy की पांच प्रतियां इस कार्यालय में प्राप्त हुआ।

प्रस्ताव के पूर्ण समीक्षा के क्रम में कतिपय कमियाँ/त्रुटियाँ पाई गयी थी। निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1362 दिनांक 02.11.2021 द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं प्रयोक्ता अभिकरण को निदेशित किया गया। तदोपरांत क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के पत्रांक 1795 दिनांक 12.08.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन इस कार्यालय में समर्पित किया गया है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो, वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है:-

1. यह परियोजना रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित है।
2. Form-A Part-I के अनुसार इस परियोजना हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को कुल 13.797 हे० भूमि की आवश्यकता है जिसमें 13.047 हे० वनभूमि एवं 0.75 हे० गैर वनभूमि शामिल है।
3. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि का वैधानिक स्थिति निम्नवत् है :-

क्र०सं०	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकवा (हे० में)	जंगल-झाड़ी का रकवा (हे० में)	वनस्पति घनत्व
1.	रामगढ़	शून्य	13.047	0.3

4. इस परियोजना में कुल 13.047 हे० वनभूमि अन्तर्ग्रस्त है, जिसमें अधिसूचित वनभूमि का रकवा शून्य है एवं जंगल-झाड़ी का रकवा 13.047 हे० है।
5. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र Form-A part-I में अभियुक्ति दर्ज कर आवेदन दर्ज है तथा भारत सरकार के website पर निर्धारित Format में अभियुक्ति दर्ज कर Upload किया गया है।
6. प्रस्ताव के साथ पार्ट-II में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल का मंतव्य दर्ज है। एवं पार्ट-III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो का मंतव्य दर्ज है। साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। निर्धारित Format पार्ट-II में आवश्यक प्रविष्टि दर्ज कर website पर अपलोड किया गया है।
7. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Authorization Letter संलग्न है।

8. प्रस्ताव के साथ Justification संलग्न है।
9. प्रस्ताव के साथ वृक्षों की गणना सूची संलग्न है।
10. प्रस्ताव के साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी रामगढ़ द्वारा अपने पार्ट-II में दर्ज अभियुक्ति के अनुसार इस परियोजना में पड़ने वाले वृक्षों की कुल संख्या 103 है।
11. प्रस्ताव के साथ लागत-लाभ विश्लेषण संलग्न है।
12. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी/मौजावार/प्लॉटवार/रकबावार/निम्नवत् है:-

Schedule of Forest land

S.No	Type Of Land	Mauza	Plot	Area (Acre)
1	GMJJ	Chattar Mandu	3201	15.12
2	GMJJ	Chattar Mandu	3203	17.12
Total				32.24

13. पार्ट-IV में दर्ज अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है।
14. प्रस्ताव के साथ 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है।
15. प्रस्ताव के साथ मौजा मैप संलग्न है।
16. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का Geo referenced मैप संलग्न है।
17. इस परियोजना में अर्तग्रस्त 13.047 हे० जंगल झाड़ वनभूमि के उपयोग हेतु संबंधित उपायुक्त रामगढ़ के पत्रांक 942/रा० दिनांक 19.07.2023 द्वारा अनापति-प्रमाण पत्र प्राप्त है।
18. प्रस्ताव के साथ FRA, 2006 के तहत संबंधित उपायुक्त रामगढ़ के पत्रांक 82 दिनांक 19.01.2018 द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त है। साथ ही इस क्रम में हुई आमसभा/ग्रामसभा की बैठक की कार्रवाई की प्रति संलग्न है।
19. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं C.A की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है।
20. वन प्रमंडल पदाधिकारी रामगढ़ द्वारा अपने पार्ट-II के कंडिका 11 के उप कंडिका (I) में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि पर किसी भी प्रकार के violation नहीं किये जाने की सूचना दी गई है।
21. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, गज आरक्ष एवं बायोस्फेयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है।
22. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1746 दिनांक 12.11.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा मंतव्य प्राप्त है।
23. अपयोजन हेतु प्रस्तावित 13.047 हे० वनभूमि हेतु समतुल्य गैर वनभूमि के विरुद्ध क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुल 26.10 हे० गैरमजरूवा खास जंगल झाड़ी भूमि का चयन किया गया है जो निम्नवत् है:-

क्र०सं०	वन प्रमंडल का नाम	मौजा का नाम	थाना एवं थाना नं०	प्लॉट नं०	गैरमजरूवा खास जंगल झाड़ी भूमि का रकबा हे० में
1	रामगढ़	बीचा	रामगढ़/37	44	26.10 हे०
कुल :					26.10 हे०

प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि का नक्शा, DGPS, KML file, संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, का उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न है।

24. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसा की गई है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो से प्राप्त प्रस्ताव की तीन मूल प्रतियाँ भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल 13.047 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज-I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं HoFF, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०:-यथोक्त।

प्रस्ताव की तीन मूल प्रति के साथ।

विश्वासभाजन



प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

K.S.
23.8.23

PART -IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

Construction of Building Police Line Ramgarh 13.047 ha

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks)

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 13.047 ha Forest land

Date :- 23.08.2023

Place :- Ranchi

Signature

(Shashikar Samanta)

Nodal Officer

Name & Designation

Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi
(Official Seal)



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं
मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड।

वन भवन, झोरण्डा, राँची-834002

Email : pccf-wildlife@gov.in, Phone No. 0651-2481744



पत्रांक: 1746

राँची, दिनांक : 12/11/2021



प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय:- पुलिस लाईन रामगढ़ के भवन निर्माण हेतु 13.047 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

आपका ज्ञापांक 1362 दिनांक 02.11.2021

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक पुलिस लाईन रामगढ़ के भवन निर्माण हेतु 13.047 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर क्षेत्रीय वन पदाधिकारियों के मंतव्य के आधार पर प्रथम दृष्टिवा यह प्रतीत हो रहा है कि प्रस्तावित क्षेत्र वन्यप्राणी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है।

विश्वासभाजन

(Signature)
12/11

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक,

झारखण्ड, राँची
12/11/21

कैप्टुदीन मिश्रा
16/11/21